रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2010/श्रावण 8, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 103]
No. 119] DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2010/SHRAVANA 8, 1932 [N.C.T.D. No. 103]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 जुलाई, 2010

सं. फा. 12/2/2004/प्र.सु./8243-8402/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु., जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खंड ए के उप-खंड (i) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री दिनेश गुप्ता को एक वर्ष की अवधि के लिये जन-शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री दिनेश गुप्ता दिनांक 8-8-2010 से 7-8-2011 तक अपने पद पर बने रहेंगे।

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th July, 2010

No. F. 12/2/2004/AR/8243-8402/C.—In pursuance of sub-clause (i) of clause A of paragraph 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended *vide* Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Dinesh Gupta as Part-Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi for a further period of one year, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Sh. Dinesh Gupta shall hold the office for a period of one year from 8-8-2010 to 7-8-2011.

सं. फा. 12/2/2004/प्र.सु./8083-8242/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु., जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खंड ए के उप-खंड (i) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्रीमति निशा सैमुअल को एक वर्ष की अवधि के लिये जन-शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में पुन: नियुक्त करते हैं।

श्रीमति निशा सैमुअल दिनांक 31-7-2010 से 30-7-2011 तक अपने पद पर बनी रहेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरविन्द रे, प्रधान सचिव

No. F. 12/2/2004/AR/8083-8242/C.—In pursuance of sub-clause (i) of clause A of paragraph 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended *vide* Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor, National

Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mrs. Nisha Samuel as Part-Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi for a further period of one year, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Mrs. Nisha Samuel shall hold the office for a period of one year from 31-7-2010 to 30-7-2011.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND RAY, Pr. Secy.

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 जुलाई, 2010

सं. फा. 10(5)/वित्त (राजस्व-1)/2010-11/एएसएफ/165 (i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 10 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्त्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री सतेन्द्र कुमार को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आबकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 10(5)/वित्त/(राजस्व-1)/2010-11/एएसएफ/165 (ii).—दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्त्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री सतेन्द्र कुमार को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विलासिता कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 10(5)/वित्त (राजस्व-1)/2010-11/एएसएफ/165 (iii).—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्त्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री सतेन्द्र कुमार को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मनोरंजन एवं बाजीकर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गर्ग, अतिरिक्त सचिव

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th July, 2010

No. F. 10(5)/Fin.(Rev-I)/2010-11/asf/165(i).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 10 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the National Capital Territory of Delhi, and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Satendra Kumar, as Excise Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi, in the discharge of his functions under the aforesaid Act, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. F. 10(5)/Fin.(Rev-I)/2010-11/asf/165(ii).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996), and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Satendra Kumar, as Luxury Tax Officer to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi, in the discharge of his functions under the aforesaid Act, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. F. 10(5)/Fin.(Rev-I)/2010-11/asf/165(iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Satendra Kumar, as Entertainment and Betting Tax Officer to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi, in the discharge of his functions under the aforesaid Act, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GARG, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.